न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14/01/2018	2018/00036	26–03–2018	07–04–2021

01– भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री छबील सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी ग्राम बिलासपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर वारिस काबिज जायदाद मृतक छबील सिंह। –अपीलान्ट

बनाम

01– मंजीत कौर बेवा श्री कुलवन्त सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी ग्राम बिलासपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर जिला अलवर राज0।

02– भू–आवंटन कमेटी रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 09.03.2018

उपस्थितः–

01. श्री सनत कुमार जैन –वकील अपीलान्ट
02. श्री जगदीश चन्द सतीजा –वकील रेस्पो0 1
03. पैरोकार सरकार

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 09.03.2018 जिसके द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 160 रकबा 15 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 186 रकबा 0.13 है0 के गैर खातेदारी अधिकार रैस्पो0 सं0 1 को प्रदान किये गये, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम, अलवर के निर्णय दिनांक 06.06.2016 द्वारा तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ के आवंटन आदेश दिनांक 02.09.1975 को निरस्त करते हुए पक्षकारान् को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर एवं कब्जे की पुनः जांच –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

कर निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को नोटिस जारी कर तलब किया गया। जिसमें रैस्पो0 सं0 1 द्वारा कहा गया कि उसके पिता छबील सिंह के नाम खसरा नम्बर 160 रकबा 15 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 186 रकबा 13 ऐयर आवंटन किया गया था। उक्त आराजी पर उसके ससुर रघुवीर सिंह अपने जीवनकाल में काबिज रहकर काश्त कर रहे थे, जिसके स्वर्गवास के बाद रैस्पो0 के पति एवं उनके स्वर्गवास के बाद स्वंय अपीलांटा काश्त करती चली आ रही है। इस आराजी का आवंटन रैस्पो0 सं0 2 द्वारा मौका निरीक्षण कर नहीं किया गया तथा बिना निरीक्षण किये ही छबील सिंह के पक्ष में आवंटन आदेश पारित कर दिया जबकि कब्जा रैस्पो0 सं0 1 का चला आ रहा है। विवादित आराजी ऑक्यूपाईड लैण्ड थी, जो रैस्पो0 सं0 1 के बुजुर्गों के कब्जे में निरंतर 50 साल से चली आ रही है। आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व विज्ञप्ति भी जारी नहीं की गयी। विवादित आराजी पर अपीलांटा सिटिंग टीनेन्ट है। सर्वप्रथम आराजी पर उसे अधिकार प्राप्त है। जिस व्यक्ति को आवंटन किया गया है वह भूमिहिन व्यक्ति नहीं है। उसके पिता के पास वक्त आवंटन 20 बीघा से अधिक जमीन थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नकल घटनाबही दिनांक 25.09.2013 मौका रिपोट पटवारी हल्का दिनांक 06.12.2016 व अन्य साक्ष्य से छबील सिंह का आवंटन सही नहीं माना व उससे पूर्व ही रैस्पो0 सं0 1 का कब्जा मानते हुए रेस्पो0 सं0 1 को गैर खातेदार अधिकार प्रदान करते हुए अपीलांट के नाम दर्ज इन्द्राजात् कलमजन कर आलोच्य निर्णय पारित किया है। वर्तमान प्रकरण में मृतक रघुवीर सिंह पुत्र मन्ना सिंह जाति सिख के वारिसान की जांच रिपोर्ट तलब की गयी। जिसमें कोई तारीख अंकित नहीं है, में अंकित किया है कि मंजीत कौर की शादी 30 साल पूर्व रघुवीर सिंह के पुत्र कुलवन्त सिंह के साथ हुई थी। शादी के दो माह बाद ही कुलवन्त सिंह की मृत्यु हो गयी उसके बाद रैस्पो0 सं0 1 ने बिलासपुर में ही राजवंश सिंह ब्राह्मण सिख से पुनर्विवाह कर लिया। वर्तमान में रैस्पो0 सं0 1 हरवंश सिंह के साथ रहती है जिसके दो पुत्र भी है। सर्वप्रथम तो उक्त रिपोर्ट गलत है क्योंकि इस रिपोर्ट में मंजीत कौर को वर्तमान में हरवंश सिंह के साथ रहना बताया है जबकि पुनर्विवाह राजवंश के साथ होना बताया है। रिपोर्ट में किसी भी दस्तावेज से इस बात की पुष्टि नहीं की गयी कि 30 साल पूर्व रैस्पो0 सं0 1 की शादी कुलवन्त के साथ हुई हो। यहां तक कि शादी की कोई तारीख दर्ज नहीं की गयी है। मंजीत कौर की वोटर आईडी उसके पति राजवंश सिंह की पत्नी के रूप में बतायी गयी है। जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। इसलिए रैस्पो0 सं0 1 मंजीत कौर स्व0 कुलवन्त सिंह की पत्नी रही हो किसी भी रूप में साबित नहीं है। लिहाजा वह कुलवन्त सिंह की पत्नी एवं स्व0 रघुवीर सिंह की पुत्रवधू होने के नाते वारिस साबित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका पर्चा पेश किया—

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

गया, उसमें अंकित है कि कब्जे के बारे में पूछने पर विवादित आराजी पर मंजीत कौर का ही कब्जा बताया गया है तथा मिन अपीलांट को वक्त मौका देखे जाने अनुपस्थित रहना बताया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि मौका देखते वक्त मिन अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गयी। हल्का पटवारी ने रैस्पो0 सं0 1 साझ–बाझ होकर अपने कार्यालय में बैठकर मौका रिपोर्ट तैयार की है। मौके पर्चे पर किसी स्वतंत्र साक्षी यानि आस पडोस के काश्तकारों के हस्ताक्षर नहीं है। केवल मात्र रैस्पो0 सं0 1 व उसके पति राजवंश सिंह के हस्ताक्षर है। मौके पर्चे पर संबंधित कानूनगों के भी हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गवाह घनश्याम शर्मा का शपथ–पत्र कब्जे की पुष्टि हेतु पेश किया गया जिसने अपनी उम्र मात्र 27 साल बतायी है। अपने शपथ–पत्र में कथन कर रहा है कि रघुवीर सिंह का देहांत हो चुका है जिसके बाद उसका पुत्र कुलवन्त सिंह का कब्जा रहा है तथा कुलवन्त सिंह का देहांत (30 साल के पूर्व) के बाद मंजीत कौर का कब्जा रहा है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया कि 27 साल का व्यक्ति अपने जन्म से पूर्व की बातों व घटनाओं की पुष्टि कैसे कर सकता है। जबकि रैस्पो0 सं0 1 का विवाह 30 साल पूर्व कुलवन्त सिंह के साथ होना बताया है और कुलवन्त सिंह की मृत्यु शादी के दो माह बाद ही होना बताया है। गवाह घनश्याम शर्मा ग्राम बिलासपुर का निवासी भी नहीं है बल्कि वह अन्य ग्राम सैंथली का रहने वाला है। शपथ–पत्र में यह भी नहीं बताया गया है कि वह मंजीत कौर को किस तरह जानता है। एक अन्य गवाह गुलाबसिह का शपथ–पत्र जिसने भी अपनी उम्र 23 साल बतायी है तथा दीगर ग्राम मिलकपुर का रहने वाला है। उसके द्वारा शपथ–पत्र में वही बातें दौहरायी है जो घनश्याम शर्मा के शपथ–पत्र में दर्ज है। रैस्पो0 सं0 1 ने भी अपना शपथ–पत्र पेश किया है जिसमें उन्होंने विवादित आराजी अपना कब्जा बताया है। किन्तु उसने अपने शपथ–पत्र में अपने वर्तमान पति का नाम ही चालाकी व दुर्भावना पूर्वक अंकित नहीं किया है। बल्कि स्वंय को कुलवन्त सिंह की पत्नी दर्ज किया है। कुलवन्त सिंह का स्वर्गवास काफी अरसे पूर्व ही हो गया था तो उसका व उसके पति का आज मौके पर कब्जा होना कैसे संभव है। एक गवाह श्रीमती हरबंश कौर का शपथ–पत्र पेश किया गया। जिसने अपनी उम्र करीब 80 साल बतायी है तथा उसके शपथ–पत्र में वहीं बाते दर्ज की गयी है जो 23 व 27 साल के गवाहों के शपथ–पत्र में दर्ज की गयी है। जबकि सही तथ्य यह है कि हरबंश कौर करीब 85–90 साल की वृद्ध महिला है जो बीमार व चलने फिरने में असमर्थ है। बिस्तर पर ही रहती है ऐसी स्थिति में मौके की पुष्टि कैसे कर सकती है कि विवादित आराजी पर क्या फसल है और किसका कब्जा है व किसने फसल बोई है। मंजीत कौर के अलावा अन्य गवाहों के शपथ–पत्र साईक्लोस्टाईल के रूप में हूबहू एक जैसे पेश किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गौर नहीं किया गया है।–

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

प्रकरण में जो घटना बही पेश की गयी है उसके अंकित किया है कि मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने खसरा नम्बर 186 पर मंजीत कौर का कब्जा बताया है, जबकि घटना बही पर राजवंश सिंह जो मंजीत कौर का पति है के अलावा जिन लोगों के हस्ताक्षर दर्शाये गये है कतई फर्जी है तथा उनके नाम पते भी नहीं बताये गये है कि वो लोग कौन है। यह तथ्य सही है कि मिन अपीलांट के पिता छबीलसिंह को आवंटन आदेश दिनांक 02.09.1975 के द्वारा विवादित आराजी आवंटित की गयी थी। अपीलांट के पिता जीवन पर्यन्त विवादित आराजी पर काबिज रहे। उनके स्वर्गवास के बाद मिन अपीलांट उक्त विवादित आराजी पर काबिज रहता चला आ रहा है। अपीलांट के पिता छबील सिंह को समय–समय पर धारा 91 एलआरएक्ट के तहत नोटिस जारी किये गये थे। अपीलांट के पास उक्त पैनल्टी की रसीद भी मौजूद है जिनकी रूह से अपीलांट का विवादित आराजी पर अपने पिता छबील सिंह के जीवन काल से कब्जा बदस्तूर साबित होता है। रैस्पो0 सं. 1 ने कुलवन्त सिंह की शादी के कुछ दिन बाद ही राजवंश सिंह से घरवासा कर लिया था, जिससे उसके दो संतान भी है। ऐसी स्थिति में रैस्पो0 सं0 1 को स्वर्गीय कुलवन्त सिंह का वारिस काबिज जायदाद नहीं माना जा सकता। न ही उसका हक व अधिकार विवादित आराजी पर माना जा सकता है। वास्तव में आराजी मुतनाजा से रैस्पो0 सं0 1 का कोई सरोकार नहीं है। न ही उसके पति कुलवन्त सिंह का आराजी मुतनाजा पर कब्जा रहा है। सही तथ्य यह है कि कुलवन्त सिंह की रैस्पो0 सं0 1 विधिक रूप से वारिस काबिज जायदाद नहीं है तथा रैस्पो0 सं0 1 के खिलाफ फर्जी वारिस बताने के संबंध में पुलिस में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसके अलावा कुलवन्त सिंह की एक बहन सुरजीत कौर जो जीवित भी है, बहैसियत वारिस क्लैम कर सकती है। आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार तथ्यों की जांच कर मिन अपीलांट के पिता छबील सिंह को विवादित आराजी का आवंटन किया गया था जो कब्जा आज दिन तक बदस्तूर चला आ रहा है और अपीलांट विवादित आराजी का रिकॉर्डेड गैर खातेदार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.03.2018 निरस्त फरमाया जावें। वकील अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन में आरआरडी 1995 पेज 113–115, आरआरडी 1995 पेज 181–187, आरआरडी 2001 पेज 377–378, आरआरडी 2001 पेज 206–208, आरआरडी 2001 पेज 126–128 एवं आरआरटी 2014–15 पेज 731–735 तक नजिर पेश की है।

विद्वान वकील रैस्पो0 सं0 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर रामगढ़ द्वारा अपीलांट के पिता छबील सिंह के नाम आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 186 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम बिलासुपर तहसील रामगढ़ आवंटित किया गया था। आवंटित आराजी पर पहले रैस्पो0 1 के ससुर फिर रैस्पो0 1 के पति तथा –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

उनके बाद रैस्पो0 सं0 1 स्वंय उक्त आराजी पर काश्त करती चली आ रही है। अपीलांट के पिता छबील सिंह के नाम आवंटन गलत प्रकार से कर दिया गया, जबकि रैस्पो0 सं0 1 उक्त आराजी पर तब से काबिज है जब से रैस्पो0 सं0 1 के ससुर पाकिस्तान से भारत आये थे। विवादित आराजी आवंटन योग्य नहीं थी क्योंकि उक्त आराजी ऑक्यूपाईड लैण्ड थी जो रैस्पो0 सं0 1 के बुजुर्गान से कब्जे में निरंतर करीब 50 साल से चली आ रही थी। उक्त आराजी पर सर्वप्रथम रैस्पो0 सं0 1 के ससुर रघुवीर सिंह उनके बाद उनके पति तथा उनके बाद स्वंय रैस्पो0 सं0 1 काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत् है, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करने से पत्नी का उसके पति की जायदाद में हिस्सा समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है। वकील रैस्पो0 सं0 1 ने अपने जवाब के समर्थन में एआईआर 2008 एससी 1467, 2018 2 आरआरटी 1188, 78 आरआरडी 44 नजिर पेश की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य रघुवीर सिंह के वारिसान की जांच में मंजीत कौर की शादी 30 वर्ष पूर्व कुलवन्त सिंह के साथ होना बताया था। जिसकी मृत्यु के बाद मंजीत कौर की शादी राजवंश सिंह के साथ होना बताया गया है तथा वर्तमान में मंजीत कौर को हरवंश सिंह के साथ रहना बताया गया है, जबकि पुनर्विवाह राजवंश सिंह के साथ हुआ है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं है कि मंजीत कौर की शादी 30 वर्ष पूर्व कुलवन्त सिंह के साथ हुई है। मौका पर्चा दिनांक 06.12.2016 का अवलोकन किया। जिसमें अपीलांट को वक्त मौका निरीक्षण अनुपस्थित बताया गया है तथा मौके पर्चे पर रेस्पो0 सं0 1 व उसके पति राजवंश सिंह के हस्ताक्षर के अलावा किसी स्वतंत्र व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलांट को मौका देखने संबंधी कोई सूचना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। रैस्पो0 सं0 1 की ओर से पेश गवाहान् ने गवाह श्री घनश्याम शर्मा के शपथ–पत्र का अवलोकन किया जिसमें गवाह की उम्र 27 वर्ष दर्ज की गयी है तथा गवाह द्वारा रैस्पो0 सं0 1 को रघुवीर सिंह के जीवन में उनके पुत्र कुलवन्त सिंह की पत्नी होना बताया है जबकि रैस्पो0 सं0 1 का विवाह कुलवन्त सिंह के साथ 30 साल पूर्व होना तथा शादी के 2 माह बाद कुलवन्त सिंह का फौत होना बताया है। 27 वर्ष का व्यक्ति 30 वर्ष पूर्व की घटनाओं की पुष्टि कैसे कर सकता है। शपथ–पत्र गवाह घनश्याम शर्मा ग्राम बिलासपुर का निवासी न होकर ग्राम सैंथली का निवासी होना दर्शाया गया है। दूसरा गवाह गुलाब सिंह पुत्र दौलतराम जाति माली उम्र करीब 23 साल निवासी ग्राम मिलकपुर ने भी वहीं बाते दौहरायी है जो पूर्व में घनश्याम शर्मा द्वारा दर्ज की गयी है। रैस्पो0 सं0 1 के शपथ–पत्र का अवलोकन किया जिसमें रैस्पो0 सं0 1 द्वारा वर्तमान –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

पति का नाम भी दर्ज नहीं किया है। अपीलांट द्वारा पेश गवाह भगवन्त सिंह पुत्र करतार सिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी ग्राम बिलासपुर उम्र 58 साल तथा पृथ्वीपाल सिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी ग्राम बिलासपुर उम्र 52 साल के है, जो दोनों ही गवाहान् रैस्पो0 सं0 1 के पति की मृत्यु के पूर्व के है, ने विवादित आराजी पर अपीलांट के पिता तथा उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट का कब्जा होना बताया है। जमाबंदी सवत् 2043 में खसरा नम्बर 160 मिन में छबील सिंह पुत्र मक्खन सिंह जाति ब्राह्मण सिख साकिन देह गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 06.12.2016, उपलब्ध गवाहान् तथा घटनाबही दिनांक 25.09.2013 के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जबकि दोनों गवाहों की उम्र ही कुलवन्त सिंह की मृत्यु होने से कम है तथा उक्त गवाह बिलासपुर के निवासी भी नहीं है। केवल पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 06.12.2016 में भी मात्र रैस्पो0 सं0 1 व उसके पति के अलावा किसी स्वतंत्र व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त दोनों ही दस्तावेजी साक्ष्य से रैस्पो0 सं0 1 का कब्जा प्रथम–दृष्ट्या साबित नहीं होने से अपील अपीलांट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों व विद्वान अभिभाषको की बहस के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.03.2018 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को विधि द्वारा सुस्थापित विधिक प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07–04–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

07/04/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)